फरत के कारण हिंसा के उदाहरण

राल्फ नागरिक अधिकार अधिनियम (Ralph Civil Rights Act) के तहत निम्नलिखित गैर-कानूनी है:

- ⇒।किसी वयक्ति के किसी संरक्षित समूह का वासतव में सदसय होने या ऐसा माने जाने के कारण उस वयक्ति के संवैधानिक अधिकारों में बलपूवरक या धमकाकर दखलअंदाज़ी करना।
- ⇒अपने धमर के आधार पर पूजा करने के लिए एकत्रित हुए लोगों के समूह को जान-बूझकर परेशान करना।
- ⇒हिंसा की धमकी देकर धामिरक गितिविधयों को हतोत्सा हत करने का यास करना।
- ⇒किसी वयक्ति के किसी संरक्षित समूह का वास्तव म सदस्य होने या ऐसा माने जाने के कारण उस व्य क सम्प को नुकसान पहुंचाना।
- ⇒किसी वयक्ति के किसी संरक्षित समूह का वास्तव म सदस्य होने या ऐसा माने जाने के कारण कसी पूजा स्थल या इमारत म तोड़-फोड़ करना।
- ⇒किसी व्यक्ति के किसी संरक्षित समूह का वास्तव में सदस्य होने या ऐसा माने जाने के कारण उस व्यक्ति पर हमला करना।
- ⇒किसी व्यक्ति के किसी संरक्षित समूह का वास्तव में सदस्य होने या ऐसा माने जाने के कारण उस व्यक्ति के विरुद्ध गैर-कानूनी हिंसा का समर्थन करना जहाँ ऐसे समर्थन का उद्देश्य नजदीक भविष्य में गैर-कानूनी कार्य को भड़काना या करवाना हो और ऐसी कार्रवाई उत्पन्न होने की संभावना हो।

उचित रोजगार एवं आवास विभाग (Department of Fair Employment and Housing) का मिशन कैलीफोर्निया के लोगों को रोजगार, आवास एवं सार्वजनिक आवास में गैर-कानूनी भेद-भाव और नफरत के कारण होने वाली हिंसा तथा मानव तस्करी के कार्यों के अपराध से बचाना है।

अधिक जानकारी के लिए:

Department of Fair Employment and Housing

टोल फ्री:(800) 884-1684

TTY: (800) 700-2320

ऑनलाइन:www.dfeh.ca.gov

हमें यहाँ भी देख सकते हैं

यदि आपको कोई ऐसी विकलांगता है जो आपके लिए लिखित पूवर-शिकायत ऑनलाइन, डाक से या ई-मेल से भेजने में बाधा है, तो DFEH आपकी पूवर-शिकायत को फोन के माधयम से लिखकर आपकी सहायता कर सकता है। जो वयक्ति सुन नहीं सकते या कम सुनते हैं या जिनहें बोलने में दिककत है, वे कैलीफोनिरया रिले सविरस (711), या आपके VRS के माधयम से हमें (800) 884 - 1684 (वॉइस) पर कॉल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट तय करने के लिए, 800 - 884 - 1684 (वॉइस) या 800 - 700 - 2320 (TTY) या ई-मेल से contact.center@dfeh.ca.gov पर संचार केंद्र (Communication Center) से सम्पर्क करें।

विकलांग लोगों द्वारा अनुरोध किए जाने पर DFEH उनके लिए एक उचित रियायत के रूप में एक वैकल्पिक आरूप में अपनी सामग्रियां उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सामग्रियों या वेब पेजों तक पहुँचने के लिए आपके पसंदीदा आरूप पर चर्चा करने के लिए DFEH से (800) 884-1684 पर (वॉइस या रिले ऑपरेटर 711 के माध्यम से), TTY (800) 700-2320 या contact.center@dfeh.ca.gov DFEH से सम्पर्क करें।

STATE OF CALIFORNIA
DEPARTMENT OF
FAIR EMPLOYMENT & HOUSING

DFEH-R01B-HI - 12/2016

उचित रोजगार एवं आवास विभाग

नफरत के कारण हिंसा एवं नागरिक अधिक

राल्फ नागरिक अधिकार अधिनियम

किसी व्यक्ति की गर्भावस्था, बच्चे के जन्म, तथा संबंधित चिकित्सा स्थितियों, लैंगिक पहचान तथा लैंगिक अभिव्यक्ति सहित उसकी वास्तविक या मानी गई लैंगिक स्थिति, नस्ल, रंग, धर्म, वंश, राष्ट्रीय मूल, विकलांगता, स्वास्थ्य स्थितियों, आनुवांशिक सूचना, वैवाहिक स्थिति, यौन रुचि, नागरिकता, प्रमुख भाषा, प्रवास स्थिति, राजनैतिक संबद्धता या किसी श्रम विवाद में स्थिति के कारण हिंसा या हिंसा की धमकी के कार्यों पर रोक लगाता है। (कैलीफोर्निया सिविल कोड धारा 51.7)

ये सूचीबद्ध विशिष्टताएं केवल उदाहरण हैं और इस अधिनियम के अंतर्गत भेदभाव के अन्य आधार संभव हैं। सिविल कानून द्वारा प्रतिबंधित कार्य आपराधिक कार्य भी हो सकते हैं और इनसे इनके उल्लंघनकर्ताओं पर आपराधिक दंड भी लग सकते हैं। राल्फ नागरिक अधिकार अधिनियम में वस्तुओं या सेवाओं के लिए कोई समझौता करने के लिए एक शर्त के रूप में शिकायत या मुकदमा दायर करने या अटर्नी जनरल, DFEH या अभियोजक या कानून लागू करने वाली एजेंसी को अधिसूचित करने के अधिकार सहित इस अधिनियम के तहत दिए गए संरक्षण से छूट मांगने पर भी प्रतिबंध है।

DFEH क्या कर

उचित रोजगार और आवास विभाग (DFEH) नफरत के कारण हिंसा पर प्रतिबंध लगाने वाले कैलीफोर्निया नागरिक कानूनों को निम्न के द्वारा लागू करता है:

- ⇒ कियतों की जाँच-पड़ताल करना;
- ⇒ कानून का उल्लंघन करने वाले पर मुकदमा चलाना; और
- ⇒ लिखित सामग्री उपलब्ध कराके और संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों में भाग लेकर कैलीफोर्निया के लोगों को नफरत के कारण हिंसा, मानव तस्करी, उत्पीड़न तथा भेदभाव करने पर रोक लगाने वाले कानूनों के संबंध में शिक्षित करना।

कैलीफोर्निया कानून के तहत किस प्रकार के कार्य प्रतिबंधित हैं?

कैलीफोर्निया कानून में मौखिक या लिखित धमकी, शारीरिक हमला या हमले का प्रयास, भिति चित्र और उत्पात मचाना या सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना प्रतिबंधित है। अन्य कैलीफोर्निया कानूनों में उन कार्यों के लिए आपराधिक जुर्मानों का प्रावधान है जिनमें पूजा करने के लिए एकत्रित लोगों के समूह को परेशान करना; पूजा के किसी स्थान या किसी धार्मिक शैक्षिक संस्था के स्वामित्व वाली या अधिकार वाली किसी इमारत में उत्पात मचाना; हिंसा की धमकी से धार्मिक गतिविधियों को हतोत्साहित करने का प्रयास करना; या पूजा स्थलों या किसी निजी सम्पत्ति पर किसी व्यक्ति को बम या आगजनी से डराना शामिल है, यदि उस सम्पत्ति को उसके मालिक या निवासी की नस्ल, रंग, धर्म, वंश या अन्य संरक्षित आधार के कारण निशाना बनाया गया हो।

ये कानून पीड़ित की किस प्रकार सहायता करते हैं?

ये कानून उन लोगों के लिए सिविल समाधान उपलब्ध कराते हैं जो नस्ल, रंग, धर्म, वंश, राष्ट्रीय मूल, आयु, विकलांगता, लिंग, सेक्स, यौन रुचि, राजनैतिक संबद्धता या श्रम विवाद में स्थिति के कारण हिंसा या हिंसा की धमकी की घटनाओं के शिकार हुए हैं। उपलब्ध सिविल समाधानों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ⇒ रोधक आदेश
- ⇒वास्तविक नुकसान
- ⇒दंडात्मक नुकसान
- ⇒ सिविल दंड
- ⇒अटर्नी की फीस

इन कानूनों द्वारा उपलब्ध कराए गए अधिकारों का प्रयोग करने के लिए कोई व्यक्ति विभिन्न कदम उठा सकता है।

दि मुझे लगता है कि मैं नफरत के कारण हिंसा का शिकार हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए?

1. आप इस पुस्तिका का प्रयोग कर सकते हैं। इसे किसी अटर्नी, पुलिस, या सरकारी एजेंसी को तब दिखाएं जब आप उनसे इस समस्या के संबंध में सम्पर्क करते हैं।

2. किसी भी हिंसा की धमकी या कार्य के बारे में पुलिस को सूचित करें। हिंसा की धमकी या कार्य और विशिष्टता (नस्ल, लिंग, आयु, विकलांगता, यौन रुचि आदि) के बीच संबंध को स्पष्ट अवश्य करें। याद रखें कि यह संबंध आपकी विशिष्टता या किसी समूह या उस व्यक्ति की विशिष्टता पर आधारित हो सकता है जिसके साथ आप जुड़े हैं।

3. आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। DFEH में, न्यायालय में या किसी अन्य सरकारी एजेंसी जैसे स्थानीय पुलिस विभाग, जिला अटर्नी या कैलीफोर्निया के अटर्नी जनरल के समक्ष शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

DFEH में, न्यायालय में या किसी और सरकारी एजेंसी जैसे स्थानीय पुलिस विभाग, जिला अटर्नी या कैलीफोर्निया के अटर्नी जनरल के समक्ष शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

राल्फ या बेन नागरिक अधिकार अधिनियम (Bane Civil Rights Acts) को लागू करने के लिए कैलीफोर्निया सिविल कोड की धारा 52 के तहत निजी मुकदमा दायर किया जा सकता है।

मुझे कैलीफोर्निया में शिकायत दायर करने के लिए क्या करना चाहिए?

ोई DFEH शिकायत उस तारीख से एक वर्ष के अंदर अवश्य दर्ज कराई जानी चाहिए जिस तारीख को पीड़ित दोषी की पहचान से अवगत होता है, परंतु किसी भी स्थिति में नुकसान पहुंचाए जाने की तारीख से तीन वर्ष से अधिक समय बाद नहीं। अटर्नी की आवश्यकता नहीं है और विभाग की सेवाओं के लिए कोई शुल्क नहीं है। शिकायत के बारे में विशिष्ट तथ्य प्रस्तुत करने और शिकायत में आरोपों के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियाँ उपलब्ध कराने के लिए तैयार रहें।

मारे टोल फ्री नंबर (800) 884 – 1684 पर कॉल करके DFEH से सम्पर्क कर सकते हैं।

सिविल समाधान

निरोधक आदेश: न्यायालय से निरोधक आदेश प्राप्त करने के बाद उस आदेश के उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाया जा सकता है या उन्हें जेल भेजा सकता है।

वास्तविक नुकसान: इन नुकसानों में चिकित्सा उपचार की लागत, खोए हुए मेहनताने, सम्पत्ति की मरम्मत या भावनात्मक पीड़ा और कष्ट के लिए भुगतान शामिल है।

दंडात्मक नुकसान: उल्लंघनकर्ताओं को दंड देने के लिए न्यायालय अतिरिक्त नुकसान राशि का आदेश दे सकता है।

सिविल दंड: न्यायालय $25000 के जुर्माने का आदेश दे सकता है जो शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति को दिया जाएगा।

अटर्नी की फीस: न्यायालय मुकदमे के परिणामस्वरूप अटर्नी की फीस के भुगतान का आदेश दे सकता है।